न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 101/2025

श्री नवीन प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी गीता भवन नियर आई.पी. एस. स्कूल बम्बोर रोड टोंक तहसील व जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक —— प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16.12.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 नामान्तकरण संख्या 3647 दिनांक 13.02.2013 वाके कस्बा शर्की टोंक के कियान्विति/अमल के संदर्भ में कितने व किस पत्रांक द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया, सम्पूर्ण पत्रों की प्रति।

2 नामान्तकरण संख्या 3647 दिनांक 13.02.2013 के कियान्विति के संदर्भ में कार्यालय हाजा को प्राप्त मार्गदर्शन पत्र की प्रति।

3 नामान्तकरण संख्या 3647 दिनांक 13.02.2013 वाके कस्बा शर्की टोंक की कियान्विति के संदर्भ में चलाई गई पत्रावली कमांक व सम्पूर्ण पत्रावली मय नोट शीट।

4 नामान्तकरण संख्या 3647 दिनांक 13.02.2013 के कियान्विति पर किस स्तर पर स्थगन है। स्थगन की प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को पत्र कमांक 2152 दिनांक 06.11.2025 व 2313 दिनांक 27.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोक ने पत्र कमांक 14489 दिनांक 27.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 12625 दिनांक 17.10.2025 से प्रार्थी के पते पर रजि. डाक से प्रेषित कर दी गई है, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन से विदित होता है कि अपीलाण्ट को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। तहसीलदार टोंक द्वारा अपीलाण्ट को प्रेषित जवाब में चाही गई सूचना कीं पत्रावली संख्या/ नाम नही होने के कारण वाछिंत सूचना उपलब्ध नही करवाई जाना अंकित किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र में नामान्तकरण

765

जिला कलेक्टर
टोंक

संख्या 3647 दिनांक 13.02.2013 वाके ग्राम कस्बा शर्की टोंक स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने के उपरान्त भी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने अपीलाण्ट को सूचना उपलब्ध नही करवाई है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निशुल्कःउपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक